न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 65/2016

अनिता देवी वनाम राज्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी अनिता देवी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अपील वाद संख्या 33/13–14 में पारित आदेश ज्ञापांक 1426–1 आई०सी०डी०एस० दिनांक 31.10.2014 में पारित आदेश के विरूद्ध उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 3226 दिनांक 11.08.2015 में संशोधित निदेश कंडिका 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थी का कहना है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड परियोजना के रघुनाथ पंचायत अन्तर्गत वार्ड नंबर– 11 के ऑगनबाड़ी केन्द्र जमुनियॉ केन्द्र संख्या 197 के सेविका पद हेतु निकाले गए विज्ञापन के आलोक में अपीलार्थी सहित कुल 04 अभ्यर्थी अपना आवेदन दाखिल की, मेधा सूची प्रकाशन किया गया जो निम्नवत है।

1. रीना रागिनी – 72%
2. अनिता देवी – 59.71%
3. कुन्दन कुमारी – 54.6%
4. गुंजा कुमारी – 52.4%

मेधा सूची के प्रकाशन के बाद अपीलार्थी द्वारा आपत्ति दिया गया अभ्यर्थी रीना रागिनी का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र गलत है, जिसके प्रमाण स्वरूप स्कूल से प्राप्त T.R का अभिप्रमाणितप्रति एवं T.C (विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र) की छाया प्रति दाखिल की, जिसके अनुरूप रीना रागनी तृतीय श्रेणी से उतीर्ण है, जबकि सेविका पद हेतु दाखिल आवेदन के साथ प्रथम श्रेणी उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र कुट रचना कर लगाई। आम सभा द्वारा सर्वप्रथम रीना रागिनी के आवेदन पर विचार किया गया। चूँकि उनका प्रमाण–पत्र फर्जी वो गलत था, जिसके संबंध में आवेदिका आम सभा के समय भी सवूत व साक्ष्य दिखायी तथा पूर्व से भी आपत्ति दाखिल की थी, जिसके आलोक में उनके आवेदन पर चयन समिति द्वारा आम सभा में खारीज कर दिया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी के आवेदन पर विचार किया गया। अपीलार्थी पोषक क्षेत्र के बाहुल्य से सर्वोत्तम मेधा अंक प्राप्त अभ्याथियों जो सभी अहर्त्ताओं को पूरा करती थी, इस लिए आम सभा में अपीलार्थी के नाम की चयन की घोषणा की गयी। बावजूद इसके गलत रूप से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सह पदेन सचिव द्वारा गलत रूप से प्रख्यान कर पैनल से हटा दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा अपने लिखित बहस के माध्यम से कहा है अभ्यर्थी रीना रागिनी के अंक पत्र फर्जी पाया गया। इसलिए वार्ड संख्या सत्यापन की बात कहकर चयन से वंचित कर दिया गया, किन्तु गलत रूप से पैनल के प्रथम स्थान पर रखा गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी के आवेदन पर विचार किया गया। वर्ग वाहुल्य से पोषक क्षेत्र की थी तथ सभी आहर्त्ता को पूरी करती थी, किन्तु गलत रूप से इनके उम्र पर आपत्ति दर्ज कर यह कहते हुए चयन से वंचित कर दिया गया। इनके तथा इनके बेटी के उम्र में 9 वर्ष का अन्तर है, जबकि मार्गदर्शिका में वर्णित कंडिका 4.4 के अनुसार अनिता देवी का उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है, जो चयन की अहर्त्ता को पूरा करती है। इसे नजर अंदाज कर घोर अनियमितताऐं कर चयन से वंचित किया गया तत्पश्चात् तृतीय स्थान पर कुन्दन कुमारी के आवेदन पर विचार किया गया, जिसका मेघा अंक अपीलार्थी से कम है, बावजूद पैनल के दूसरे स्थान पर रखा गया। मेघा अंक के चौथे स्थान की गुंजा कुमारी को पैनल के तीसरे स्थान पर रखा गया। तत्पश्चात् आम सभा से वगैर किसी का चयन किए हुए आम सभा की कार्यवाही समाप्त कर दिया गया व गलत रूप ये चयन समिति द्वारा विपक्षी कुन्दन कुमारी वो चयन पत्र निर्गत कर दिया गया।

अपीलार्थी उक्त चयन के विरूद्ध निम्न न्ययालय में वाद दाखिल की, जहॉ सभी पक्ष उपस्थित हुए आरोपानुसार निम्न न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से जॉच पड़ताल किया गया। रीना रागिनी के अंक पत्र का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से कराया गया। जॉचोपरान्त अंक पत्र जाली पाया गया।

अपीलार्थी का आगे कथन है अनिता देवी के विरूद्ध गलत आरोप लगाया गया है। वह पोषक क्षेत्र की निवासी नहीं है, जिसकी जॉच प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा से करायी गयी। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा अपने प्रतिवेदन में अपीलार्थी को जमुनियॉ वार्ड नं0– 11 की है जो पोषक क्षेत्र अन्तर्गत है। अपीलार्थी के उम्र एवं अंक पत्र के सत्यापन हेतु बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना

9.3.17

से जॉच करायी गयी। बोर्ड के पत्रांक 719/स दिनांक 29.09.14 से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें जन्म तिथि 25.05.1987 कुल प्राप्तांक 399 दर्शाया गया है जो सही है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा सारे तथ्यों का जॉच पड़ताल कर यह पाया कि मेघा सूची के प्रथम स्थान की रीना रागिणी का प्रमाण–पत्र फर्जी है जो चयन की आहर्त्ता पूरा नहीं करती है, जबकि अपीलार्थी पोषक क्षेत्र की है, शैक्षणिक प्रमाण–पत्र सही है। मार्गदर्शिका के अनुरूप मेघा सूची के दूसरे स्थान पर है, जिसका चयन नियमानुकूल होना चाहिए वावजूद इसके विपक्षी कुन्दन कुमारी का जिसका मेघा अंक अपीलार्थी के मेघा अंक से कम है। प्रभाव में आकर गलत रूप से किये गए चयन को सम्पुष्ट करते हुए अपीलार्थी के वाद को खारीज कर दिया गया।

विपक्षी संख्या– 4 कुन्दन कुमारी का कहना है अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील वाद आधारहीन तथ्य के विपरीत है तथा मात्र जाल फरेब पर आधारित है जो खारीज योग्य है। विपक्षी का अग्रतर कहना है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1426–1/आई0सी0डी0एस0 दिनांक 31.10.2014 के विरूद्ध दाखिल किया गया। विपक्षी का आगे कथन है दिनांक 12.11.2013 के आम सभा में श्रीमती रीना रागिनी द्वारा अपीलार्थी अनिता देवी के विरूद्ध जन्म तिथि के संबंध में आपत्ति दर्ज की थी, जिसमें अनिता देवी एवं उनकी दो पुत्रियों क्रमशः नीतु कुमारी, खुशबु कुमारी के प्रमाण–पत्र दाखिल किया गया। अनिता देवी का प्रथम संतान की उत्पत्ति मात्र 7 वर्ष की आयु में हुई थी जो अविश्वनीय है एवं अपीलार्थी की जन्म तिथि फर्जी एवं जाल फरेबी है तथा इसी आधार पर अपील खारीज योग्य है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय आंगनबाड़ी मार्गदर्शिका के अनुकूल विधि सम्मत एवं न्याय संगत है। प्रमाण–पत्र के आधार पर सही निर्णय लिया गया है।

विपक्षी का अग्रतर कहना है बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाऐं बिहार समाज कल्याण विभाग पत्रांक आई0सी0डी0एस0 300020/16–2012/1669 दिनांक 09.05.2012 के कंडिका एवं (1) का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसी कंडिका एवं (III) का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें मेडिकल बोर्ड का प्रावधान है तथा कंडिका ग (घ) में निःशुल्क मेडिकल बोर्ड का गठन कर जॉच करायी जा सकती है, ताकि उम्र का निर्धारण में कोई गलती फर्जी नहीं है। कंडिका ख (1) में उम्र 18 से 40 वर्ष निर्धारित क गई जबकि अपीलार्थी का उम्र आवेदन की तिथि के समय 40 से अधिक थी।

विपक्षी का आगे कथन है कि अपीलार्थी अनिता देवी एक जाल वो फरेबी महिला जो निर्वाचन सूची के आधार पर अपना निवास स्थान साकिन– जमुनिया पंचायत रधुनाथपुर, वार्ड नं० 11 जिला सहरसा बता रही है, जिसे अपीलार्थी द्वारा अपने आधार के पारा– 9 में स्वीकार की है। भूलवश दूसरे पंचायत कोपा ग्राम– मौरा वार्ड संख्या– 8 में अपना नाम स्वीकार करते हुए उसे पूर्व में करवाने/हटवाने की बात की है, जो गलत है तथा दण्डनीय अपराध है। पंचायत रधुनाथपुर जमुनियॉ के वार्ड नं0– 11 बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 2012 भाग संख्या 151 में क्रमांक 686 डी0सी0एल0आर0 0975607 में सुनीता देवी पति सकल देव मेहता अंकित है। जिसे अपीलार्थी द्वारा अपने आधार पर पारा– 9 में स्वीकारती हे। वास्तविकता तो यह है कि अनिता देवी पति– सकल देव मेहता, पंचायत– कोपा, ग्राम– मौरा, वार्ड नं0– 8 की निवासी है जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार की निर्वाचक नामावली क्रमांक 15 से (ख) 2014 में अनिता देवी पति सकल देव मेहता दर्ज है जिसका क्रमांक (ख) डब्बू जेड क्यू नं0 क्रमशः 1148/डब्बू जेड क्यू 9713 197 (ख) 1129 डब्लू क्यू 0918197 है जो प्रमाणित करता है कि अनिता देवी ग्राम– मौरी की है। संशोधित मार्गदर्शिका की कंडिका 4.3 में स्पष्ट उल्लेखित है। सेविका को संबंधित पोषक क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा कंडिका 4.2 में उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। विपक्षी कुन्दन देवी पूर्व से प्रशिक्षण ले चुकी है। प्रशिक्षण के पश्चात् केन्द्र नियमित रूप से संचालित हो रही है।

अन्ततः विपक्षी द्वारा कहा गया अपीलार्थी के विरूद्ध सरकारी कागजातों के साथ छेड़–छाड़ कर गलत रूप से प्रतिपक्षी के विरूद्ध प्रयोग किये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्ध I.P.C की धारा 420 अन्तर्गत कार्यवाही कर अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज करने की याचना की गयी।

सभी पक्षों को सुना। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (आई0सी0डी0एस0) के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

अतः अपील आवेदन खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

9.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

9.3.17

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 438-2 / विधि, सहरसा, दिनांक-10-3-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी जिला विधि शाखा, सहरसा।
10.3.17